झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने)

हिनू, राँची–834002

ज्ञापांक–रा0आ0आ0–(नोटिस)17/19– 458 राँची, दिनांक– 14·11·19

कोर्ट नोटिस

सेवा में,

1. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम।
2. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम।

विषयः– ग्राम– कुपुई एवं ग्राम– बाईपी के ग्रामीणों को राशन नहीं दिये जाने से संबंधित अपील अभ्यावेदन पर दिनांक–08.01.2020 को 12:30 बजे अपराह्न में सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामः– कुपुई एवं ग्रामः– बाईपी ग्रामीणों द्वारा राशन नहीं दिये जाने से संबंधित अपील अभ्यावेदन आयोग के कार्यालय को प्राप्त हुई है (छायाप्रति संलग्न)। आयोग द्वारा इस मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। इस निमित दिनांक–08.01.2020 को 12:30 बजे अपराह्न में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, साकेत नगर, हिनु, राँची में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि एवं समय को आयोग के कार्यालय में सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

14/11/2019

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने)

हिनू, राँची–834002

ज्ञापांक–रा0आ0आ0–(नोटिस)17/19– 457 राँची, दिनांक– 14.11.19

कोर्ट नोटिस

सेवा में,

श्री राशिका कायम एवं अन्य
मौजा बाईपी, केनुवा, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम।

विषयः– ग्राम– कुपुई एवं ग्राम– बाईपी के ग्रामीणों को राशन नहीं दिये जाने से संबंधित अपील अभ्यावेदन पर दिनांक–08.01.2020 को 12:30 बजे अपराह्न में सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा राशन नहीं दिये जाने से संबंधित अपील अभ्यावेदन (छायाप्रति संलग्न) आयोग के कार्यालय को प्राप्त हुई है। आयोग द्वारा इस मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। इस निमित **दिनांक–08.01.2020 को 12:30 बजे अपराह्न** में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, साकेत नगर, हिनु, राँची में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है।

अतः श्री कायम को सूचित किया जाता है किः–

1. उपरोक्त तिथि एवं समय को आयोग के कार्यालय में अपील के बिन्दु 5 में वर्णित 98 व्यक्तियों की सूची एवं बिन्दु 6 में वर्णित जिला को जमा किये गये 11 राशन कार्डधारियों की सूची के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
2. साथ ही अन्य शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय को **प्रज्ञा केन्द्र, ग्राम+पंचायत गोली केरा,** चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे ताकि आयोग द्वारा विडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई किया जा सके।

14/11/2019

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक–रा0आ0आ0–(नोटिस)17/19– 457 राँची, दिनांक– 14.11.19

प्रतिलिपिः– श्री कैलाश बानकिरा, संचालक प्रज्ञा केन्द्र, ग्राम+पंचायत गोली केरा, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र की प्रति अपीलकर्त्ता श्री राशिका कायम को हस्तगत कराकर तामिला प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाय।

14/11/2019

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

O/C